



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225611
CG-DL-E-03032021-225611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942

No. 109]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2021

संख्या 11/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 150(अ).—जहां कि यूरोपीय संघ और सिंगापुर में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “फेनोल” के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 284 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित, प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/41/2020-डीजीटीआर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, जिसे दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा

शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 6/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मार्च, 2016, जिसे सा.का.नि. 284 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (क) सारणी में, क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है उनसे भिन्न कोई भी देश” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) सारणी में, क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “जिन देशों पर प्रतिपाटन शुल्क लगता है उनसे भिन्न कोई भी देश” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के समक्ष विनिर्दिष्ट विषयगत वस्तुओं पर लगा प्रतिपाटन शुल्क 7 जून, 2021 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।”

[फा. सं. 354/202/2015-टीआरयू (पार्ट-I)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 6/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 8 मार्च, 2016 को सा.का.नि. 284 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 जुलाई, 2016, जिसे सा.का.नि. 697 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2021

No. 11/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 150(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/41/2020-DGTR, dated the 31st December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31st December, 2020, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Phenol’, originating in or exported from European Union and Singapore, imposed *vide* notification of the Government of India, in the

Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2016-Customs (ADD), dated the 8th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 284(E), dated the 8th March, 2016, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 6/2016-Customs (ADD), dated the 8th March, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 284(E), dated the 8th March, 2016, namely :-

In the said notification,-

- (a) in the TABLE, against Sl. No. 12, for the entry in column (4), the entry “Any country other than those attracting anti-dumping duty” shall be substituted;
- (b) in the TABLE, against Sl. No. 15, for the entry in column (4), the entry “Any country other than those attracting anti-dumping duty” shall be substituted;
- (c) after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed on the subject goods specified against serial numbers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of the Table above shall remain in force up to and inclusive of the 7th June, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. 354/202/2015-TRU(Pt-I)]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 6/2016-Customs (ADD), dated the 8th March, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 284(E), dated the 8th March, 2016 and was last amended *vide* notification No. 33/2016-Customs (ADD), dated the 14th July, 2016, published *vide* number G.S.R. 697(E), dated the 14th July, 2016.